



Journal of INDIAN KNOWLEDGE STUDIES (JIKS)

पारंपरिक भारतीय ज्ञान एवं जैविक संसाधनों के संरक्षण में IPR की भूमिका

डॉ अनीता कौशल

देवनागरी महाविद्यालय मेरठ असिस्टेंट प्रोफसर, kaushalanita034@gmail.com

सारांश

भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहाँ जैव विविधता के साथ-साथ पारंपरिक ज्ञान की अत्यंत समृद्ध परंपरा विद्यमान है। आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, योग, लोकचिकित्सा, कृषि पद्धतियाँ, बीज संरक्षण, वनस्पतियों का औषधीय उपयोग, हस्तशिल्प तथा स्थानीय समुदायों द्वारा विकसित अनेक पारंपरिक विधियाँ भारतीय ज्ञान परंपरा की महत्वपूर्ण धरोहर हैं। यह ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि अनेक जनजातीय एवं स्थानीय समुदायों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी मौखिक एवं व्यवहारिक रूप से हस्तांतरित होता रहा है। इसी प्रकार भारत के वन, औषधीय पौधे, कृषि जैव विविधता, सूक्ष्मजीव, पशु-पक्षी तथा अन्य जैविक संसाधन देश की आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय संपदा हैं। वैश्वीकरण, जैव-प्रौद्योगिकी और आधुनिक अनुसंधान के विस्तार के साथ पारंपरिक ज्ञान एवं जैविक संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग की संभावनाएँ बढ़ी हैं। इसके साथ ही जैव-अपहरण (Biopiracy), अनुचित पेटेंट दावों, पारंपरिक ज्ञान के अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग तथा स्थानीय समुदायों को उचित लाभ न मिलने जैसी चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। ऐसी परिस्थितियों में बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights—IPR) पारंपरिक ज्ञान एवं जैविक संसाधनों के संरक्षण, दस्तावेजीकरण, पहचान और आर्थिक मूल्यवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारत ने इस दिशा में Traditional Knowledge Digital Library (TKDL), जैव विविधता कानून, पेटेंट कानून, भौगोलिक संकेतक (GI), पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण तथा अन्य संस्थागत व्यवस्थाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। TKDL भारतीय पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित प्रकाशित ज्ञान को व्यवस्थित रूप से दस्तावेजीकृत करके पेटेंट परीक्षकों के लिए पूर्व कला (Prior Art) के रूप में उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम है। वर्तमान TKDL स्रोत-सूचना के अनुसार इसमें आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, योग और सोवा-रिग्पा से संबंधित 281 प्रमुख ग्रंथों से 4.24 लाख से अधिक फॉर्मूलेशन दर्ज हैं। यह शोध-पत्र द्वितीयक स्रोतों के आधार पर पारंपरिक भारतीय ज्ञान एवं जैविक संसाधनों के संरक्षण में IPR की भूमिका का विश्लेषण करता है तथा यह स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि IPR व्यवस्था को स्थानीय समुदायों के अधिकार, जैव विविधता संरक्षण और लाभ के न्यायसंगत वितरण के साथ किस प्रकार जोड़ा जा सकता है।

मुख्य शब्द

पारंपरिक ज्ञान, बौद्धिक संपदा अधिकार, जैव विविधता, जैविक संसाधन, TKDL, जैव-अपहरण, पेटेंट, GI, लाभ-साझेदारी, भारतीय ज्ञान प्रणाली।

ARTICLE HISTORY

Received: 15 September 2026
Revised: 22 September 2026
Accepted: 30 September 2026
Published: 12 October 2026

CITATION

डॉ अनीता कौशल., (2026). पारंपरिक भारतीय ज्ञान एवं जैविक संसाधनों के संरक्षण में IPR की भूमिका. *Journal of Indian Knowledge Studies (J. Indian Knowl. Stud.)*, 1(2), 23-28.
<https://doi.org/10.71371/jiks.23-28>

प्रस्तावना

भारत की सांस्कृतिक पहचान उसकी विविध ज्ञान परंपराओं में निहित है। भारतीय समाज में प्रकृति और मानव जीवन के बीच संबंध

को केवल संसाधनों के उपभोग तक सीमित नहीं माना गया, बल्कि प्रकृति के संरक्षण और उसके साथ संतुलित सह-अस्तित्व को भी महत्व

दिया गया। ग्रामीण और जनजातीय समुदायों ने अपने अनुभवों के आधार पर औषधीय पौधों, कृषि, जल संरक्षण, खाद्य पदार्थों, बीजों, पशुपालन और प्राकृतिक उपचार से संबंधित अनेक उपयोगी ज्ञान विकसित किए।

पारंपरिक ज्ञान को सामान्यतः ऐसा ज्ञान माना जा सकता है जो किसी समुदाय में लंबे समय से विकसित होकर पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा हो। इसमें स्थानीय पर्यावरण, वनस्पतियों और जीव-जंतुओं की पहचान, औषधीय उपयोग, कृषि तकनीक, खाद्य संरक्षण, लोकचिकित्सा और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग से संबंधित ज्ञान शामिल हो सकता है।

दूसरी ओर, भारत जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण देश है। पौधे, पशु, सूक्ष्मजीव, आनुवंशिक सामग्री तथा उनके उपयोगी उत्पाद जैविक संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। जैव विविधता कानून में जैविक संसाधनों को पौधों, पशुओं, सूक्ष्मजीवों, उनके आनुवंशिक पदार्थ और संभावित या वास्तविक उपयोग वाले उप-उत्पादों के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। इसी कानून में जैविक संसाधनों के संरक्षकों तथा उनसे संबंधित ज्ञान के धारकों को “benefit claimers” की अवधारणा से जोड़ा गया है।

आधुनिक विज्ञान और उद्योग ने इन संसाधनों एवं पारंपरिक ज्ञान के नए उपयोगों की संभावनाएँ खोली हैं। औषधि, सौंदर्य प्रसाधन, खाद्य उद्योग, कृषि तथा जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े अनुसंधान का महत्व बढ़ा है। इसलिए यह आवश्यक है कि जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न आर्थिक लाभ में उन समुदायों की भी उचित भागीदारी हो जिन्होंने इस ज्ञान और संसाधन के संरक्षण में योगदान दिया है।

2. पारंपरिक भारतीय ज्ञान की अवधारणा

पारंपरिक भारतीय ज्ञान एक व्यापक अवधारणा है। इसमें केवल आयुर्वेदिक औषधियों का ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन, प्रकृति, कृषि, स्वास्थ्य, भोजन, पर्यावरण और सामाजिक व्यवहार से जुड़े विविध ज्ञान-रूप शामिल हैं।

इसके प्रमुख क्षेत्र निम्न हैं—

- आयुर्वेद एवं लोकचिकित्सा
- योग एवं प्राकृतिक जीवन-पद्धति
- औषधीय वनस्पतियों का उपयोग
- पारंपरिक कृषि एवं बीज संरक्षण

- जल एवं मृदा संरक्षण की स्थानीय तकनीकें
- वन संसाधनों का सतत उपयोग
- पारंपरिक खाद्य एवं संरक्षण तकनीकें
- हस्तशिल्प एवं लोककलाएँ
- पशुपालन एवं स्थानीय नस्लों का संरक्षण
- जनजातीय समुदायों का पर्यावरणीय ज्ञान

इस ज्ञान की विशेषता यह है कि इसका बड़ा भाग किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत रचना न होकर सामुदायिक अनुभव और पीढ़ियों के योगदान का परिणाम है। यही कारण है कि पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक IPR व्यवस्था में सुरक्षित करना जटिल चुनौती है।

3. IPR की अवधारणा और पारंपरिक ज्ञान

IPR अर्थात् Intellectual Property Rights (बौद्धिक संपदा अधिकार) ऐसे कानूनी अधिकार हैं जो मानव की बौद्धिक एवं सृजनात्मक गतिविधियों से उत्पन्न संपदा को संरक्षण प्रदान करते हैं। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक तथा पौध किस्म संरक्षण आदि इसके प्रमुख रूप हैं।

पारंपरिक ज्ञान के संदर्भ में समस्या यह है कि वर्तमान IPR व्यवस्था का बड़ा हिस्सा किसी पहचान योग्य आविष्कारक या रचनाकार, नवीनता और सीमित अवधि के अधिकार जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। पारंपरिक ज्ञान कई बार सदियों पुराना, सामुदायिक और पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होता है। इसलिए इसे सामान्य पेटेंट व्यवस्था के अंतर्गत सीधे संरक्षित करना हमेशा संभव नहीं होता।

इसी कारण पारंपरिक ज्ञान के लिए दो प्रकार की रणनीतियाँ महत्वपूर्ण हैं—

(क) Defensive Protection:

किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा पहले से मौजूद पारंपरिक ज्ञान पर अनुचित पेटेंट प्राप्त करने से रोकना।

(ख) Positive Protection:

समुदायों को उनके ज्ञान के उपयोग पर अधिकार, नियंत्रण अथवा आर्थिक लाभ उपलब्ध कराना।

भारत में TKDL defensive protection का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

4. Traditional Knowledge Digital Library (TKDL) की भूमिका

भारत की Traditional Knowledge Digital Library पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण संस्थागत पहल है। इसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित उपलब्ध ज्ञान को व्यवस्थित रूप से दस्तावेजीकृत करके उसे पेटेंट परीक्षकों के लिए सुलभ बनाना है।

TKDL में भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के प्रकाशित साहित्य से संबंधित सामग्री को व्यवस्थित किया गया है। आधिकारिक स्रोत के अनुसार इसमें आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, योग और सोवा-रिग्पा से संबंधित 281 ग्रंथों के आधार पर 4.24 लाख से अधिक फॉर्मूलेशन दर्ज हैं।

TKDL का महत्व इस तथ्य में है कि किसी पेटेंट दावे की नवीनता निर्धारित करते समय पूर्व कला (Prior Art) की जानकारी महत्वपूर्ण होती है। यदि किसी औषधीय उपयोग या तकनीक का विवरण पहले से पारंपरिक साहित्य में मौजूद है, तो उसके आधार पर किसी व्यक्ति द्वारा उसे बिल्कुल नया आविष्कार बताकर पेटेंट प्राप्त करने का प्रयास चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

WIPO के अनुसार TKDL ने भारतीय पारंपरिक ज्ञान के अनुचित पेटेंट दावों के विरुद्ध महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह जैव-अपहरण को रोकने की दिशा में एक प्रभावी साधन के रूप में विकसित हुआ है।

TKDL के माध्यम से भारतीय पारंपरिक ज्ञान को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में व्यवस्थित करने से पेटेंट परीक्षकों के लिए संबंधित पूर्व कला तक पहुँच आसान होती है। इस प्रकार TKDL पारंपरिक ज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण defensive protection mechanism है।

5. जैविक संसाधनों के संरक्षण में IPR की भूमिका

जैविक संसाधनों का संरक्षण केवल पर्यावरणीय विषय नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और कानूनी विषय भी है। औषधीय पौधे, बीज, स्थानीय कृषि प्रजातियाँ, वन उत्पाद और अन्य जैविक संसाधन अनेक समुदायों की आजीविका से जुड़े हैं।

भारत के जैव विविधता कानून का मूल उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण, उसके घटकों का सतत उपयोग तथा जैविक संसाधनों और उनसे संबंधित ज्ञान के उपयोग से होने वाले लाभों का न्यायसंगत एवं समान वितरण सुनिश्चित करना है।

कानून में जैविक संसाधनों तथा उनसे जुड़े ज्ञान के उपयोग को नियमन के दायरे में रखा गया है और लाभ-साझेदारी की अवधारणा

को महत्व दिया गया है। National Biodiversity Authority की स्वीकृति और लाभ-साझेदारी से संबंधित प्रावधानों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जैविक संसाधनों और उनसे जुड़े ज्ञान के व्यावसायिक उपयोग से स्थानीय समुदायों के हितों की उपेक्षा न हो।

इस प्रकार IPR को जैव विविधता कानून के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। पेटेंट किसी नए आविष्कार को संरक्षण दे सकता है, लेकिन जैविक संसाधन के मूल स्रोत और उससे जुड़े पारंपरिक ज्ञान के अधिकारों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।

6. जैव-अपहरण (Biopiracy) की समस्या

जैव-अपहरण का आशय सामान्यतः जैविक संसाधनों या उनसे संबंधित पारंपरिक ज्ञान का बिना उचित अनुमति, मान्यता या लाभ-साझेदारी के व्यावसायिक उपयोग से है।

भारत जैसे जैव-विविधता संपन्न देश के लिए यह गंभीर विषय है। यदि किसी स्थानीय समुदाय को किसी पौधे के औषधीय उपयोग की जानकारी पीढ़ियों से है और कोई बाहरी संस्था उसी ज्ञान को वैज्ञानिक रूप से विकसित करके अपने नाम से पेटेंट प्राप्त करने का प्रयास करती है, तो यह प्रश्न उठता है कि उस ज्ञान के वास्तविक योगदानकर्ताओं को क्या लाभ मिलेगा।

ऐसी स्थिति में TKDL जैसी व्यवस्था पारंपरिक ज्ञान को पूर्व कला के रूप में स्थापित करके अनुचित पेटेंट दावों के विरुद्ध रक्षा कर सकती है। इसके साथ-साथ जैव विविधता कानून लाभ-साझेदारी के सिद्धांत को महत्व देता है।

इसलिए जैव-अपहरण की रोकथाम के लिए केवल पेटेंट कानून पर्याप्त नहीं है। दस्तावेजीकरण, जैव विविधता कानून, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और लाभ-साझेदारी को एक साथ लागू करना आवश्यक है।

7. भौगोलिक संकेतक (GI) और पारंपरिक ज्ञान

भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication—GI) भी पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय उत्पादों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े उत्पाद की विशिष्ट गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या विशेषता को GI संरक्षण के माध्यम से पहचान मिल सकती है।

भारत में अनेक पारंपरिक हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद, खाद्य पदार्थ और स्थानीय उत्पाद GI के माध्यम से अपनी विशिष्ट पहचान प्राप्त कर चुके हैं।

GI का लाभ यह है कि यह किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति के

बजाय संबंधित भौगोलिक क्षेत्र के अधिकृत उत्पादकों के सामूहिक हितों की रक्षा कर सकता है। इस दृष्टि से यह सामुदायिक ज्ञान एवं स्थानीय आर्थिक गतिविधियों के संरक्षण का उपयोगी माध्यम बन सकता है।

8. कृषक अधिकार और पारंपरिक कृषि ज्ञान

भारतीय पारंपरिक ज्ञान का एक बड़ा हिस्सा कृषि से संबंधित है। किसानों ने लंबे समय में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बीजों का चयन, संरक्षण और उपयोग किया है। पारंपरिक बीजों और स्थानीय कृषि पद्धतियों ने जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण की व्यवस्था किसानों के योगदान को मान्यता देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। भारत की IPR व्यवस्था में Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 एक विशिष्ट कानून है, जो पौध किस्मों के संरक्षण के साथ कृषकों के अधिकारों को भी संबोधित करता है। WIPO के भारत संबंधी कानूनी रिकॉर्ड में इसे पौध किस्म संरक्षण से संबंधित प्रमुख कानून के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

इससे स्पष्ट होता है कि IPR का उपयोग केवल उद्योग और वैज्ञानिक संस्थानों के हितों के लिए नहीं, बल्कि किसानों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों को मान्यता देने के लिए भी किया जा सकता है।

9. लाभ-साझेदारी का महत्व

पारंपरिक ज्ञान और जैविक संसाधनों के संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इनके उपयोग से होने वाले लाभ का उचित वितरण कैसे किया जाए।

यदि किसी औषधीय पौधे या स्थानीय ज्ञान का उपयोग करके कोई व्यावसायिक उत्पाद विकसित होता है, तो उस ज्ञान और संसाधन के संरक्षण में योगदान देने वाले स्थानीय समुदायों की भूमिका को मान्यता मिलनी चाहिए।

जैव विविधता कानून में लाभ-साझेदारी की अवधारणा इसी दिशा में महत्वपूर्ण है। कानून के अनुसार जैविक संसाधनों, उनके उप-उत्पादों, संबंधित नवाचारों तथा ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न लाभों को उचित शर्तों के अनुसार साझा करने की व्यवस्था की गई है।

लाभ-साझेदारी केवल आर्थिक भुगतान तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसमें स्थानीय स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, सामुदायिक आधारभूत संरचना, संरक्षण परियोजनाओं तथा स्थानीय

रोजगार जैसे लाभ भी शामिल किए जा सकते हैं।

10. पारंपरिक ज्ञान संरक्षण की प्रमुख चुनौतियाँ

10.1 सामुदायिक स्वामित्व की समस्या

पारंपरिक ज्ञान किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। इसलिए यह निर्धारित करना कठिन हो सकता है कि अधिकार किसके नाम पर दर्ज किया जाए।

10.2 मौखिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण

कई समुदायों में ज्ञान लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है। मौखिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण में गलत व्याख्या या अनधिकृत प्रसार का खतरा रहता है।

10.3 जैव-अपहरण

विदेशी या व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा पारंपरिक ज्ञान एवं जैविक संसाधनों के अनुचित उपयोग की संभावना बनी रहती है।

10.4 समुदायों में IPR जागरूकता की कमी

स्थानीय समुदायों को पेटेंट, GI, कॉपीराइट, जैव विविधता कानून और लाभ-साझेदारी जैसे विषयों की पर्याप्त जानकारी नहीं होती।

10.5 आधुनिक IPR व्यवस्था की सीमाएँ

पेटेंट व्यवस्था सामान्यतः नवीनता और आविष्कारक की अवधारणा पर आधारित है, जबकि पारंपरिक ज्ञान सामुदायिक और पुराना हो सकता है।

10.6 आर्थिक हित और संरक्षण में संतुलन

जैविक संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए अवसर प्रदान कर सकता है, लेकिन अत्यधिक दोहन जैव विविधता को नुकसान पहुँचा सकता है।

11. शोध-पद्धति

यह शोध मुख्यतः वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक (Descriptive and Analytical) प्रकृति का है। अध्ययन के लिए द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। इसमें भारत के संबंधित कानूनों, WIPO के कानूनी एवं शोध संसाधनों, Traditional Knowledge Digital Library से उपलब्ध आधिकारिक सामग्री तथा पारंपरिक ज्ञान, जैव विविधता एवं IPR से संबंधित प्रकाशित सामग्री का अध्ययन किया गया है।

अध्ययन में प्राथमिक सर्वेक्षण के स्थान पर दस्तावेजी विश्लेषण को आधार बनाया गया है। शोध का केंद्र पारंपरिक भारतीय ज्ञान, जैविक संसाधनों, IPR तथा लाभ-साझेदारी के बीच संबंधों का विश्लेषण है।

12. अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य

इस शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

पारंपरिक भारतीय ज्ञान की प्रकृति एवं महत्व को समझना।

जैविक संसाधनों के संरक्षण में IPR की भूमिका का अध्ययन करना।

TKDL की भूमिका का विश्लेषण करना।

जैव-अपहरण की समस्या का अध्ययन करना।

स्थानीय एवं जनजातीय समुदायों के अधिकारों का विश्लेषण करना।

लाभ-साझेदारी की आवश्यकता को स्पष्ट करना।

GI एवं कृषक अधिकारों की भूमिका का अध्ययन करना।

पारंपरिक ज्ञान संरक्षण के लिए प्रभावी नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

13. प्रमुख निष्कर्ष

अध्ययन से निम्न प्रमुख निष्कर्ष सामने आते हैं—

पहला, पारंपरिक भारतीय ज्ञान भारत की सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है तथा इसका संरक्षण केवल सांस्कृतिक दायित्व नहीं बल्कि आर्थिक और पर्यावरणीय आवश्यकता भी है।

दूसरा, IPR पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण में उपयोगी है, लेकिन पारंपरिक ज्ञान की सामुदायिक प्रकृति को देखते हुए अकेला पेटेंट मॉडल पर्याप्त नहीं है।

तीसरा, TKDL भारत की defensive protection व्यवस्था का महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह पारंपरिक ज्ञान को दस्तावेजीकृत करके अनुचित पेटेंट दावों के विरुद्ध उपयोगी पूर्व कला उपलब्ध कराता है।

चौथा, जैव विविधता कानून ने जैविक संसाधनों एवं उनसे जुड़े ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न लाभों के न्यायसंगत वितरण की दिशा में महत्वपूर्ण कानूनी आधार प्रदान किया है।

पाँचवाँ, स्थानीय समुदायों को केवल “ज्ञान के स्रोत” के रूप में नहीं बल्कि ज्ञान के संरक्षक और अधिकारधारक के रूप में देखने की आवश्यकता है।

छठा, जैव विविधता संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन आवश्यक है। जैविक संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग तभी टिकाऊ हो सकता है जब उसके साथ संरक्षण और पुनर्स्थापन की व्यवस्था जुड़ी हो।

14. सुझाव

स्थानीय समुदायों में IPR जागरूकता बढ़ाई जाए।

ग्राम पंचायतों, जनजातीय क्षेत्रों और स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

पारंपरिक ज्ञान का सुरक्षित दस्तावेजीकरण किया जाए।

दस्तावेजीकरण करते समय समुदाय की सहमति और संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

TKDL जैसी पहल का विस्तार किया जाए।

पारंपरिक चिकित्सा के अलावा कृषि, बीज, जल संरक्षण और अन्य पारंपरिक पर्यावरणीय ज्ञान का भी उचित दस्तावेजीकरण किया जा सकता है।

लाभ-साझेदारी को प्रभावी बनाया जाए।

जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान से व्यावसायिक लाभ होने पर स्थानीय समुदायों तक वास्तविक लाभ पहुँचना चाहिए।

महिला ज्ञान-धारकों को विशेष मान्यता दी जाए।

ग्रामीण एवं जनजातीय समाजों में औषधीय पौधों, बीज संरक्षण, खाद्य संरक्षण और लोकचिकित्सा से संबंधित ज्ञान में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उनके योगदान का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए।

शैक्षणिक संस्थानों में IPR शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में IPR, जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान पर शोध को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

GI और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए।

पारंपरिक उत्पादों की पहचान, गुणवत्ता और बाजार तक पहुँच बढ़ाकर स्थानीय समुदायों की आय में वृद्धि की जा सकती है।

जैव विविधता संरक्षण को व्यावसायिक उपयोग के साथ जोड़ा जाए।

संसाधनों के अत्यधिक दोहन के बजाय सतत उपयोग एवं पुनर्स्थापन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

15. निष्कर्ष

“पारंपरिक भारतीय ज्ञान का संरक्षण केवल अतीत को सुरक्षित रखना नहीं है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए ज्ञान, जैव विविधता और सतत विकास के आधार को सुरक्षित रखना है। IPR, जैव विविधता कानून और समुदाय-आधारित लाभ-साझेदारी को एकीकृत करके भारत अपनी ज्ञान परंपरा को आधुनिक आर्थिक एवं वैज्ञानिक विकास से जोड़ सकता है।”

पारंपरिक भारतीय ज्ञान एवं जैविक संसाधन भारत की अमूल्य

प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संपदा हैं। इनका महत्व केवल अतीत की विरासत के रूप में नहीं बल्कि भविष्य के सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, जैव-प्रौद्योगिकी और स्थानीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी है।

IPR इस विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, परंतु इसकी भूमिका को व्यापक दृष्टिकोण से समझना आवश्यक है। पेटेंट, कॉपीराइट, GI और पौध किस्म संरक्षण जैसी व्यवस्थाएँ अलग-अलग परिस्थितियों में उपयोगी हो सकती हैं। वहीं जैव विविधता कानून पारंपरिक ज्ञान और जैविक संसाधनों के उपयोग से जुड़े लाभों के न्यायसंगत वितरण की दिशा में महत्वपूर्ण कानूनी आधार प्रदान करता है। भारत का TKDL मॉडल यह दिखाता है कि आधुनिक डिजिटल तकनीक का उपयोग पारंपरिक ज्ञान को अनुचित पेटेंट दावों से बचाने के लिए किया जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. World Intellectual Property Organization (WIPO). The Biological Diversity Act, 2002, India. WIPO Lex.
2. World Intellectual Property Organization (WIPO). Protecting India's Traditional Knowledge. WIPO Magazine.
3. Traditional Knowledge Digital Library (TKDL). Source of Information. Government of India/CSIR.
4. World Intellectual Property Organization (WIPO). WIPO-UNEP Study on the Role of Intellectual Property Rights in the Sharing of Benefits Arising from the Use

हालाँकि, पारंपरिक ज्ञान को केवल IPR की पारंपरिक अवधारणाओं के आधार पर देखने से समस्या का पूर्ण समाधान नहीं होगा। क्योंकि यह ज्ञान अक्सर सामुदायिक, पीढ़ीगत और स्थानीय होता है। अतः संरक्षण की ऐसी व्यवस्था आवश्यक है जिसमें समुदाय की सहमति, ज्ञान का दस्तावेजीकरण, जैव विविधता का संरक्षण, सतत उपयोग, IPR सुरक्षा और न्यायसंगत लाभ-साझेदारी एक-दूसरे से जुड़े हों।

भविष्य में भारत को पारंपरिक ज्ञान संरक्षण की ऐसी समग्र नीति विकसित करने की आवश्यकता है जिसमें स्थानीय एवं जनजातीय समुदायों को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि ज्ञान और जैविक संसाधनों के सक्रिय संरक्षक तथा भागीदार के रूप में स्वीकार किया जाए। इस प्रकार IPR केवल आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था न रहकर जैव विविधता संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और समावेशी सतत विकास का साधन बन सकता है।

of Biological Resources and Associated Traditional Knowledge.

5. World Intellectual Property Organization (WIPO). India—Main IP Laws. WIPO Lex.
6. Government of India. The Biological Diversity Act, 2002, as amended.
7. Government of India. The Biological Diversity Rules, 2004. WIPO Lex.
8. World Intellectual Property Organization (WIPO). Traditional Knowledge and Intellectual Property. WIPO resources on traditional knowledge, genetic resources and intellectual property.

COPYRIGHT:

© 2026 The Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>